(10)

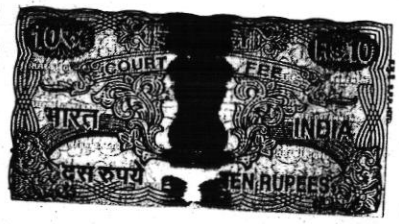

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4439

श्रीमती जलधारा पत्नी नरेन्द्र सिंह
निवासी–ग्राम प्रकाश बम्होरी तहसील
गोरिहार जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदिका

विरूद्ध

(1) म0प्र0 शासन ...... अनावेदक

(1) आ.नि. 8/3/18 के पालन में संशोधन अनावेदक क्र. 2 व 3 - (2) राखी पत्नी श्री शैलेन्द्र पिता स्व. नरेन्द्र नि. ग्राम-टिकरी तह. मादेह जिला हमीरपुर (उ.प्र.) (3) सीमा पत्नी छोटेलाल पिता स्व. श्री नरेन्द्र ग्राम कुरवा तह. बहुआ जिला फतेहपुर (उ.प्र.)

न्यायालय नायब तहसीलदार जुझार नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, आवेदिका श्रीमती जलधारा एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार जुझारपुर के समक्ष ग्राम प्रकाश बम्होरी में स्थित आराजी क्रमांक 1315/3,2289, 2283, 2285, 2291, 2294, 2296, 2297, 2298, 2301, 2302, 2308, 2345 कुल किता 13 कुल रकबा 6.487 है0 का वसीयतनामा के आधार नामान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

2 यहकि, न्यायालय नायब तहसीलदार जुझारपुर द्वारा आवेदिका के उक्त आवेदन पत्र को प्रकरण क्रमांक 30/अ–6/2016–17 पर पंजीबद्व कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त प्रकरण में आवेदिका द्वारा एक आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 14 सी.पी.सी के अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन किया कि मूल वसीयतनामा की मूल प्रति प्रस्तुत कर रहीं है। जो प्रकरण के न्यायिक निराकरण के लिये आवश्यक दस्तावेज है। तथा प्रकरण के निराकरण में सहायक सिद्व होगा इसलिये मूल वसीयतनामा को अभिलेख पर लिया जाये चूंकि वसीयत मूल दस्तावेज है जिसको साक्षियो द्वारा प्रमाणित किया जाना न्यायोचित है। इसलिये मूल वसीयतनामा को प्रदर्शित कराने के लिये साक्षी मोहन सिंह एवं धीरेन्द्र सिंह को साक्ष्य के लिये बुलाना चाहती है अतः अनुमति प्रदान की जाये।

13.11.17
पं.दि. 23.11.17
13/11/17

जलधारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निग./छतरपुर/भू.रा./2017/4439 **जिला** छतरपुर जलधारा विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-08-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. दिनांक 13-08-2018 को आवेदिका के अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी व अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री डी.एस. तोमर एवं अनावेदक क्रमांक 2,3 के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित को ग्राह्यता पर सुना गया । 3. उभय पक्षों द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । निगरानी मेमो एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जुझार नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 07-11-2017 का अवलोकन किया गया । 4. अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका जलधारा द्वारा दिनांक 30-10-2017 को नायब तहसीलदार के समक्ष आदेश 18 नियम 17 सीपीसी के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें उसके द्वारा मूल वसीयतनामा प्रस्तुत कर उसके दोनों साक्षियों के साक्ष्य एवं प्रतिपरिक्षण हेतु बुलाये जाने हेतु निवेदन किया था । नायब तहसीलदार जुझार नगर ने आवेदिका के उक्त आवेदन पर विचार न कर मात्र इस आधार पर कि पूर्व में आवेदिका द्वारा अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये जा चुके है । आवेदिका का आवेदन निरस्त कर दिया । नायब तहसीलदार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि आवेदिका द्वारा पूर्व में मूल वसीयत उपलब्ध न होने से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई थी और जब मूल वसीयत की उपलब्धता पर न्यायालय में वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया था तब ऐसी	

2/2	स्थिति में वसीयत नामा के साक्ष्यों एवं उनका प्रतिपरीक्षण आवश्यक था । साक्ष्य अधिनियम के द्वारा भी वसीयतनामा को साक्ष्यों से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है । ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा साक्ष्यों का अवसर समाप्त कर आवेदिका का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है । ऐसी परिस्थिति में नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 07-11-2017 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि मूल वसीयत के साक्ष्य लेने एवं उसका प्रतिपरीक्षण के उपरांत उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर करें । सदस्य 31.8.18	